आई.सी.एम.आर. – राष्ट्रीय पोषण संस्थान
हैदराबाद

पत्र सं.: एनआईएन/वेतनबिल/आयकर/2026-27 दिनांक: 18.11.2026

परिपत्र

संस्थान के सभी **स्थायी** स्टाफ को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 (निर्धारण वर्ष 2027-28) के लिए आयकर गणना हेतु "घोषणा-पत्र" संस्थान की वेबसाइट (https://www.nin.res.in/) के "कर्मचारी कॉर्नर" में उपलब्ध करा दिया गया है। सभी स्टाफ से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए घोषणा-पत्र के साथ आय, बचत, निवेश, आवास निर्माण अग्रिम की मूलधन राशि एवं ब्याज, शैक्षिक ऋण पर ब्याज आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके **दिनांक 19-11-2026 से 30-11-2026 तक वेतन बिल अनुभाग में जमा करें।**

इसके अतिरिक्त, करदाताओं के लिए आयकर गणना हेतु दो विकल्प उपलब्ध हैं, अर्थात् पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था। स्टाफ अपनी इच्छानुसार इनमें से किसी एक व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। दोनों कर व्यवस्थाओं का विवरण घोषणा-पत्र के साथ संलग्न है। स्टाफ को घोषणा-पत्र जमा करते समय अपने द्वारा चयनित कर व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। **चालू वित्तीय/निर्धारण वर्ष के लिए एक बार चुना गया विकल्प पूरे वर्ष के** लिए प्रभावी रहेगा।

जिन स्टाफ की चालू वित्तीय वर्ष में वेतन एवं अन्य परिलब्धियों से वार्षिक आय ₹5,00,000/- (पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत) तथा ₹12,00,000/- (नई कर व्यवस्था के अंतर्गत) से अधिक है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी बचत एवं कटौतियों का विवरण देते हुए घोषणा-पत्र जमा करें, ताकि वेतन बिल अनुभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान उनके मासिक वेतन से की जाने वाली आयकर कटौती की गणना की जा सके।

जो स्टाफ मकान किराया भत्ते पर आयकर छूट का दावा करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में अतिरिक्त घोषणा-पत्र के साथ किराया रसीद तथा रसीद जारी करने वाले मकान मालिक का पैन नंबर भी प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि तक घोषणा-पत्र जमा न करने वाले कर्मचारियों के मामले में वेतन बिल अनुभाग में उपलब्ध अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर आयकर की गणना की जाएगी। **निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।** ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त कटौती की वापसी हेतु अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आयकर विभाग से दावा करना होगा।

सेवा में
सभी सूचना पट्ट

Contd..2

ICMR-NATIONAL INSTITUTE OF NUTRITION
HYDERABAD

No. NIN/Paybills/IT/2026-27 Dated: 18.11.2026

CIRCULAR

All **PERMANENT** staff members are hereby informed that "Declaration form" for Income Tax Calculation purpose for the financial year 2026-27 (Assessment year 2027-28) is made available on NIN website (https://www.nin.res.in/) at "Employee Corner". All staff members are hereby requested to submit the duly filled in Declaration form with enclosures about income/Savings/investment/HBA Principal/HBA Interest/Educational Loan interest etc., to **Pay Bills Section from 19-11-2026 to 30-11-2026.**

Further, there are two different **options available to the "ASSESSEE" to select** whether he/she wish to get calculation done in Old Tax Regime or New Tax Regime (details of Tax Regime enclosed with Declaration form which has to be declared by the staff member while submitting the declaration). The Option once exercised for the **current financial/assessment year will prevail for the entire year.**

Staff members, whose annual income exceeds Rs.5,00,000/- (Old Tax Regime) and Rs.12,00,000 (New Tax Regime) by way of salary and other perquisites during the current financial year, are requested to submit the declaration forms giving the details of savings/deductions to enable the Pay Bills section to calculate the income Tax to be deducted from their monthly salary during the remaining period of the current financial year.

Those who are claiming exemption towards House Rent from income Tax have to submit additional declaration in the prescribed format along with receipt, pan card number of owner's issuing the receipt. In respect of those, who fail to submit their declarations before the given date, the Income Tax will be calculated as per the information available with the Pay Bills Section. **Any representations made thereafter will not be entertained** and refund should be claimed from the Income Tax Department while filing IT returns.

18/11/26

आहरण एवं संवितरण अधिकारी
DRAWING & DISBURSING OFFICER

DRAWING & DISBURSING OFFICER
NATIONAL INSTITUTE OF NUTRITION
HYDERABAD-500 007.

To,
All Notice Boards